

21/06
2021

दिलवाही पंजीमों' के पत्रावली आज पेश
हुई। वकील वादी उप०। वकील वकील ने
पत्रावली काकत खरीज करने दावा पेश
कर निवेदन किया कि उक्तानी उक्तान में
राजिनामा होकर सहमति पत्र स्टाम्प पर लेखनी
किया जा चुका है। पत्रावली उक्त आगे
उक्ताने नही चलाना चाहते हैं। उक्त दावा
खरीज करने की कृपा करें। वकील वादी का
पत्र न्यायालय में स्वीकार किया जाकर
दावा इसी हल पर प्रेष किया जाता है।
उक्ताने में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
है। पत्रावली फंसल शमार होकर नम्बर से
काम हो तथा बाद तकमील दाखिल इतर
है। निर्णय उक्त न्यायालय में सुनाया गया।



रामेश कुमार
उपस्थित न्यायाधीश
उपस्थित न्यायाधीश
रविवरता (सिपाही)